12.16½ hrs.

RE: CALLING - ATTENTION-NOTICES AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT—*contd.*

Shri Vasudevan Nair: You know, Sir, that some of us do not interrupt the business of the House on any day....

Mr. Speaker: Shri H. N. Mukerjee may kindly see if this is to go on in this manner. He took up one objection, and now another Member is standing up..........

Shri Vasudevan Nair: May I tell you that I did not even get any intimation about the adjournment motion which I had tabled?

Mr. Speaker: He should just wait.

Shri Vasudevan Nair: Can I wait for it? Is it to be kept in abeyance?

Mr. Speaker: I do not say that it is kept in abeyance. I shall see that the decision is conveyed to him just now, if he has not already got it. Some of those who had tabled it must have got that information, though not everyone of them———

Shri Vasudevan Nair: I have not go it.

Mr. Speaker: There might be others who might have got it. If it has not been conveyed to him, I shall find out why it has not been conveyed to him.

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, मैं ने केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के सम्बन्ध में एक काम-रोको प्रस्ताव दिया था। वह एक बहुत जरूरी और अहम सवाल है। अगर देश में जनतंत्र जिन्दा नहीं रहेगा, तो कुछ भी जिन्दा नहीं रहेगा, क्योंकि यह लोक सभा और यह सदन जनतंत्र पर आधारित है।

अध्यक्ष महोदय : आप को भी इत्तिला मिली है या नहीं ?

श्री बागड़ी : मेरी बात तो सुन लीजिए। इत्तिला मिली है। मैं ने खुद बुला कर इस के बारे में पूछा था। शुरू में सदन में एक दफ़ा बात हुई थी, तो जनाब ने यह कहा था कि जिस सदस्य के काम-रोको प्रस्ताव इत्यादि दस बजे से पहले आ जायेंगे, उन को 11 बजे से पहले लिखित रूप में इत्तिला दे दी जायेगी।

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamund): This is objectionable. How can the hon. Member be allowed to go on talking like this and delivering a speech?

श्री हुकम चन्द कछवाय: अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। क्या मुझे भी मौका दिया जायेगा ?

श्री बागड़ी : दस बजे से पहले नोटिस देने के बावजूद भी इत्तिला नहीं मिलती है। लेकिन मैं इस के अलावा भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक राज्य में जनतंत्र की पूरी हत्या हो जाती है और उस के बारे में भी इस सदन में काम-रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है, तो फिर किस विषय पर काम-रोको प्रस्ताव आयेगा ? केरल की जनता ने अपनी एसेम्बली के लिए मेम्बर चुने हैं? (*Interruptions*).

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं पीछे भी तीन चार दफ़ा कह चुका हूं कि ऐसा व्यवहार समाचार पत्रों में अपना नाम देने के लिए किया जाता है। मेरी भी इच्छा है कि समाचार पत्रों में मेरा नाम आए। क्या मझे भी मौका दिया जायेगा ?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए।

Shri Vidya Charan Shukla: He is obstructing the proceedings of the House. He cannot speak without your permission.

Shri H. N. Mukerjee: In view of what happened yesterday when Shri Nanda laid those documents on the Table of the House, you must have sensed that this is a matter which requires the earliest possible discussion in the House. The adjournment motion, I suppose, has been necessitated by a desire for having a very early discussion of this matter.

This is a session where we are so preoccupied with budget matters that there would be hardly any time till perhaps the end of April when we can discuss this business. But in the meantime, the whole country is seized of this matter and it is rather excited about it, and particularly in Kerala, feelings are running very high, and they might have repercussions all over the country, and all kinds of things are in the air. Therefore, it is very important that we should discuss this matter as quickly as ever that is possible. If from the Government side there is an assurance that early in the next week, if not tomorrow, we are going to have a discussion on this matter, we shall very well hold over. This kind of speaking arises only because of what is happening. If, therefore, you can use your influence and your good offices with the authorities so that we can get a sort of assurance that as early as possible we shall have a discussion on this matter of the continuation of President's rule in Kerala, then surely my hon. friends would not try to take it up or raise it in this manner. Otherwise, we are driven to this procedure.

Shri Vasudevan Nair: How can we censure this Government otherwise? We want to censure this Government on an adjournment motion? That is the very purpose of the adjournment motion, because they are cutting at the very roots of democracy.

Mr. Speaker: Hon. Members would realise that yesterday when this matter was raised, as soon as the statement was made, a short discussion did take place. (*Interruptions*).

श्री बागड़ी : इस तरीके से नहीं ।

श्री मधु लिमये : सांविधानिक बातो पर व्यवस्था के प्रश्न पर बात हुई थी, मेरिटस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ ।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, आप खड़े हैं, फिर भी कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं । कोई परवाह नहीं करता है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस बात की कोई परवाह नहीं की जाती है । इस बात की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ हवा में उड़ा दिये जायें और बराबर दूसरी बातें यहां पर चलाई जायें । इस बात की बिल्कुल कोई परवाह नहीं की जाती है कि जब तक मैं कुछ कह रहा हूं, उस वक्त तक इन्तजार किया जाये या अगर मैं बोलने से मना कर रहा हूं तो उस की तामील की जाये । मैं ये बातें कुछ दिनों से देख रहा हूं ।

कल यह सवाल हाउस के सामने आया । होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया और प्रोक्लेमेशन को भी ले किया । उसी वक्त कुछ पायंटस आफ आर्डर रेज किये गए और कुछ सवाल भी हुए । जिन के नाम थे, मैंने उन को सवाल पुछने की इजाजत दी और सवाल किये भी गए । जो सवाल कल आ गया, जिस के बारे में पायंट्स आफ आर्डर भी रेज किये गए, उस के बारे में आज एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है । क्या कोई रूल इस बात की इजाजत दे सकता है कि जिस का जिक्र कल आ चुका है, क्या वह आज एडजर्नमेंट की शक्ल में आ सकता है ? यह एक बात है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : मुझे इतनी इजाजत भी नहीं देंगे कि मैं बोल सकूं ? बीच में ही इस तरह से खड़े हो जायेंगे ?

श्री मधु लिमये : आप इजाजत देंगे तभी खड़े होंगे ।

श्री अ० प्र० जैन : फिर बोलते जाते हैं । यह कहां का तरीका है ?

श्री मधु लिमये : सवाल का जवाब मैं दे रहा था

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब जवाब पूछा था ?

Shrimati Renuka Ray (Malda): He should be named.

अध्यक्ष महोदय : दूसरी चीज यह है कि जो यह प्रोक्लेमेशन है, इसको सून आफ्टर यहां रखा जाना है और इस पर बहस होगी । फिर यह बात भी है कि एंटीसिपेटरी यह नहीं लाया जा सकता है । इस के लिए अलहदा डिसकशन एक एडजर्नमेंट मोशन की शक्ल में नहीं रखी जा सकती है ।

मैंने इन्कार किया है तो हर एक चीज को हाउस में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने इन्कार क्यों किया ? मुझे कल चिट्ठी मिली लिमये साहब की एक और सिलसिले में जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों उनकी फलां चीज जो है उसको एडमिट करने से इन्कार कर दिया गया और उनको इजाजत नहीं दी गई उठाने की । जितने भी नोटिसिस आते हैं और जितनी भी मेरे पास चिट्ठियां आती हैं उनके बारे में एक एक करके सब दलीलें देने लग जाऊं तो सारा दिन इसी में लग जाएगा और काम नहीं चल सकेगा । जब कभी भी मैं अपील करता हूं तो वह फिजूल मालूम होती है । मेरी अपील पर अगर अमल नहीं होना है जो मैं कहता हूं उस पर अगर अमल नहीं होना है तो मेरा अपील करना फिजूल है । मैं अपील पर अपील करता जाऊं और उसकी कोई परवाह न की जाए तो अपील करने की जरूरत नहीं रह जाती है । मेरे फैसले पर अगर इतमीनान नहीं होना है तो फिर दूसरी और चीज मेरे लिए क्या रह जाती है ? क्या मैं हर एक जो चीज है उसको हाउस में लाया करूं और हर एक चीज को हाउस के सामने रख दिया करूं और हाउस फैसला करता चला जाया करे.....

Shri Vasudevan Nair: Important matters should be brought up here.

श्री बागड़ी : हाउस चाहेगा तो आप को ऐसा करना पड़ेगा । यह कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह (वाराणसी) : आप जो चाहेंगे उसको हाउस नहीं भी चाह सकता है । हम भी तो हाउस के मेम्बर हैं ।

Shri H. N. Mukerjee: In these matters, you have discretion to decide whether to have a discussion in Parliament as quickly as ever it is possible to have. You have ample disscretion in this regard; quite apart from these little things, you could easily direct Government to have a discussion on his matter which is agitating the country. How can we as the parliamentary body ignore this aspect of the matter?

Mr. Speaker: I have discretionary powers. If I use them, nobody agrees Then I am asked that I should use the discretion in a particular manner and then alone it would be agreed to.

Shri H. N. Mukerjee: I have not said that. With all respect, you are unnecessarily shifting the ground. .

Mr. Speaker: I have used that discretion. He would agree with me there. I have used it and then it is being questioned.

Shri H. N. Mukerjee: I am not questioning it. I am only saying that you have ample discretionary powers by the exercise of which you could easily

[Shri H. N. Mukerjee]

make it possible for us to discuss a paramount matter like the Proclamation which they have now issued in regard to Kerala.

Mr. Speaker: Do the rules allow that under an adjournment motion?

Shri H. N. Mukerjee: Yes. When an adjournment motion comes to point out the feeling of the members in regard to this issue and the urgency of the matter is represented, you could ascertain from Government straightway, if Government is going to have a discussion of this in the House. You have not done so. We are left in the air.

Mr. Speaker: First I have to see whether the adjournment motion itself is admissible. . .

Shri H. N. Mukerjee: I ask you in all humility: do you take a purely technical view of these important matters?

Mr. Speaker: I am to be guided by the rules at least.

Shri H. N. Mukerjee: If you have only the rules to be guided by, I am sorry. . .

Mr. Speaker: I am not taking a purely technical view of the matter. But the rules are to guide me, and I have to observe them.

Shri H. N. Mukerjee: If the spirit of the rules do not matter and only the matter of the rules is to be observed from time to time, I am very sorry to say that it makes it impossible for us to function in this House. . . .

Shri Vasudevan Nair: We are not in the habit of tabling adjournment motions everyday.

श्री मधु लिमये : ग्राप को ग्रधिकार प्राप्त है । जब काम रोको प्रस्ताव पेश हो तो उसके बारे में ग्राप विचार करे । नन्दा जी ने जो बयान दिया है उसमें कई गलत बातें हैं । बहुत सी गलत बातें हमारे दल के बारे में कही गई हैं ।

Shri Vasudevan Nair: This Government has acted in such an authoritarian manner that in the last 17 years there was no incident like this. They are going to have their rule in the whole country. Are we going to allow them to run riot like this?

Shri Raghunath Singh: We will not be ruled by you at least.

Shri Vasudevan Nair: Instead of tabling an adjournment motion we give call attention notice nowadays. You yourself have said that we are not tabling adjournment motions these days. So when we responsible Members come forward with an adjournment motion on a particular matter, you have also to realise that we are agitated over it. These are very vital questions that affect the very foundation of the democratic setup in this country.

Mr. Speaker: When that discussion is to come up soon, what is the need. . . .

Shri Vasudevan Nair: When?

Shri Daji (Indore): Not soon. It may come after six weeks.

Shri Vasudevan Nair: We are now faced with a *fait accompli.*

श्री मधु लिमये : दो महीने के बाद भी ग्रा सकता है ।

श्री बागड़ी : देश में जनतन्त्र की हत्या हुई है । यह लोक सभा चलेगी कैसे ?

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): In this matter, you are strictly within your rights, because you have discretion vested in you. I do not know the form in which the

adjournment motion has been tabled and whether it was in order or not. But it must be admitted that we must devise some means to see that when matters of such great importance are there—whether the rules provide for them or not—we are able to bring them up here. We should discuss how we could bring such matters before the House. If the matter in question is delayed and Government come forward with a proposal for discussion after a month, do you think that the people will forgive us for forgetting this very important matter? I think Parliament will not be discharging its duty properly if we do not take cognisance of these things. Let us apply our mind.

I am against violating your orders. I do not want to digress on that point. But I think it is time for us to consider this matter. Let, Government and the Opposition sit with you and devise some means by which these important matters can come up for discussion in time before the House.

Shri Ranga: Apart from all other points, in regard to this last point made by my hon. friend, Shri Dwivedy, I am in agreement, and I would like you to give us an early opportunity of discussing it with you.

श्री बड़े (खारगोन) : अमरीकी गैस का सवाल है । उसके बारे में भी नोटिस दिया गया है और यह चीज भी ह

अध्यक्ष महोदय : लोहिया साहब भी बोलना शुरू कर दें । मैंने बड़े साहब को भी नहीं बलाया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : मैं एक फरमाबरदार बेटे की तरह हूं । मैं खाली खड़ा होता रहता हूं । आप अपनी निगाह मेरी तरफ करेंगे, मुझे बोलने की इजाजत देंगे तभी बोलूंगा वर्ना नहीं बोलूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बड़े साहब को भी नहीं बुलाया और वह बोलने लग गये । इस लिए अगर आप भी बोलने लग जायें तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur): On a point of order. .

श्री बड़े : क्योंकि आपने दूसरे ग्रुप्स के लीडर्ज को बुलाया है और उन्होंने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं, इस वास्ते मैंने समझा है कि मैं भी अपने ग्रुप के विचार आपकी इजाजत से आपके सामने रख दूं । अगर आप इजाजत नहीं देते हैं तो मैं बैठ जाता हूं और अगर इजाजत देते हैं तो मै बोल लेता हूं । दूसरे ग्रुप को आपने परमीशन दी इसलिए मैं बोला हूं । यह बहुत महत्व का सवाल है, इससे कोई इन्कार नहीं करता है । अगर ग्रुप्स की कांफ्रेंस में यह कह देते कि इस पर विचार हो सकता है, इसको अगर जाहिर कर देते तो इतना डिसकशन जो हम कर रहे हैं यह न करते और इतना हल्ला न होता । हमने केरल में प्रेजीडेंटस रूल लगा दिया है । जनसंध के इसके बारे में क्या व्यूज हैं, वे भी सामने आने चाहियें, वे भी आपके सामने रहने चाहियें.

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हमने केरल को डिस्कस करना शुरू कर दिया है ? क्या केरल पर बहस आरम्भ हो गई है ?

श्री बड़े : हम गड़बड़ नहीं करेंगे । पार्लिमेंट और आप जो कहते हैं उसको हम मानने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपकी मर्जी । मैं गड़बड़ को कैसे रोक सकता हूं । स्पीकर अकेला गड़बड़ नहीं रोक सकता है । अगर मेम्बर चाहें कि उन्हें गड़बड़ ही करनी है, जिस वक्त उनकी मर्जी होगी वे गड़बड़ करेंगे तो मैं कैसे रोक सकता हूं । मैं अकेला आदमी हूं और मेरे पास कोई ऐसी फोर्स तो है नहीं कि मैं रोक सकूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह काम रोको प्रस्ताव कितना जरूरी है वह मैं खाली एक सादा सवाल शास्त्री जी से पूछ कर बता देना चाहता हूं। इतना तो शास्त्री जी को भी मालूम है कि वे चाहे फिसलें हों अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग से लेकिन मैंने जब से राजनीति शुरू की है कभी नहीं फिसला हूं। फिर भी मेरा यह सवाल है कि क्या शास्त्री जी ने रास्ता खोलना चाहा है कि जनतंत्र के बजाय अब इस देश में पिस्तौलबाजी शुरू हो जाए ? उस तरह से जनता अपनी तकदीर का फैसला करे ? यह सीधा सा सवाल है और इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी काम रोको प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : अब तो मुझे जरूर ख्याल हो गया है कि अगर पिस्तौलबाजी होनी है तो एडजर्नमेंट मोशन को मैं जरूर एलाऊ करूं। अगर पिस्तौल ही चलनी है तो पहला शख्स मैं होऊंगा.....

श्री मधु लिमये : दूसरे चलायेंगे, हम नहीं चलायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी चलायें। पिस्तौलबाजी से ही होना है तो एड-जर्नमेंट मोशन का क्या करना है हमने ?

श्री रघुनाथ सिंह : ऐसा कह कर ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। पिस्तौल चलेगी, इस तरह का प्रोत्साहन इस सदन में देना ठीक नहीं है। यह बड़ा ही अशोभनीय है।

एक माननीय सदस्य : चोर सब उधर बैठे हुए हैं।

श्री बाजी : मेरा यही कहना है कि यह होगा, यह अशोभनीय बात है। कोई रास्ता नहीं रह जायेगा लोगों के वास्ते। You murder democracy. What remains?

श्री मधु लिमये : आप जैसे लोग इस देश को बरबाद कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : पता लग गया है कि आप कितना डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं।

श्री मधु लिमये : केरल में प्रेजीडेंट्स रूल कायम किया है, यहां पर भी कर दीजिये।

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि यहां चोर बैठे हुए हैं। इस शब्द को उन्हें वापस लेना चाहिये। यह शब्द ठीक नहीं है। सारे सदन के वास्ते उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप कई बार यहां कह चुके हैं कि अगर आप की इजाजत के बिना कोई सदस्य बोलेंगे तो उन की बात को रेकार्ड से एक्स्पंज किया जायेगा। लेकिन आप कभी उस को अमल में नहीं लाते हैं। आप केवल सत्याग्रह सा कर देते हैं कि जो चाहे यहां बोला करे। मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ आप ने कहा है उस पर आप अमल भी करें। तब शायद कुछ फर्क पड़े।

श्री मधु लिमये : सुभद्रा जी, ऐसा कोई नियम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नियम भी मैं बतला दूंगा। नियम यह है कि रेकार्ड में वही चीज जा सकती है जिस के लिए मेरी इजाजत हो, दूसरी चीज नहीं जा सकती। मेरे पास दो ही हथियार रह जाते हैं। एक तो यह कि जो मेरी मर्जी के खिलाफ बोले और रोकने से भी न रुके तो वह रेकार्ड में न जाये। दूसरे यह जैसा कि मावलंकर साहब ने कहा था कि जो ऐसे शख्स होंगे वे कभी मेरी आई कैच न कर सकें। दो ही हथियार हैं मेरे पास।

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): My hon. friend here has just expressed that all of these people sitting here are thieves. May I request that this may be expunged? It is most unparliamentary.

An hon. Member: He did not say like that.

Shri Vidya Charan Shukla: There is a cardinal rule of this House that your decision and your ruling shall not be questioned in the House, and that cardinal rule has been violated here day in and day out. May I request you to see that this rule is followed?

Shri Vasudevan Nair: You are violating the Constitution.

Shri Vidya Charan Shukla: If it is not followed, the entire House will be with you to take action against the Members who offend against that rule. (*Interruptions*).

May I complete my submissions? Whatever decisions or rulings are given by you cannot be questioned. This is the basis of the conduct of business in the House. The entire Opposition leaders, responsible leaders, will agree with this that the orderly conduct of business in this House will be impossible if your decisions and rulings are challenged.

May I also submit that your ruling that if they are not satisfied with anything, it should be discussed in your Chamber, is a salutary one, and we must see that it is followed? If there is any violation, I submit to you that you should take stringent action against the Members.

Mr. Speaker: I will be proceeding with this, and I will see.

Shri Nath Pai: Has the Prime Minister nothing to say in the matter?

Mr. Speaker: I am not asking him.

Shri H. N. Mukerjee: In view of this, we feel that we should withdraw from the House. We cannot tolerate this.

[*Shri H. N. Mukerjee and some other hon. Members left the House.*]

12.32 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

ANNUAL REPORT OF THE HINDUSTAN HOUSING FACTORY ETC.

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Annual Report of the Hindustan Housing Factory Limited, New Delhi for the year 1963-64, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT-4054/65].

(ii) Review by the Government on the working of the above Company.

(iii) Statement by the Government on the amendments to the Articles of Association of the above Company.

Placed in Library. See No. LT-4055/65].

REPORT OF THE WORKING GROUP ON COIR

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): I beg to lay on the Table a copy of Report of the Working Group on Coir. [*Placed in Library. See* No. LT-4056/65].

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT ETC.

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): Sir, on behalf of Shri